रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

HKCI in KIJUS The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1370]नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2009/भाद्र 11, 1931No. 1370]NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2009/BHADRA 11, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2009

का.आ. 2223(अ).---केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धार 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 815(अ) तारीख 25 मई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :---उक्त अधिसूचना की सारणी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 और

उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एन. एच.-14013/8/2006-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पणी :---मूल अधिसूचना सं. का.आ. 815(अ), तारीख 25 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2009

S.O. 2223(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) notification number S.O. 815(E), dated the 25th May, 2007, namely:—

3188 GI/2009

In the Table to the said notification, the entry in respect of National Highway No. 39 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. NH-14013/8/2006-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note :---The principal notification was published vide number S.O. 815(E), dated the 25th May 2007.

### अधिसूचना

### नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2009

का.आ. 2224( अ). -- केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 247(अ) तारीख 5 फरवरी, 2008 को उन बातों के सिवाय जिन्हें विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है।

[फा. सं. एन. एच.-14013/8/2006-पी एंड एम]

**प्रभाकर, उप-**सचिव

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 2nd September, 2009

S.O. 2224(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of

[PART II-SEC. 3(ii)]

Road Transport and Highways) number S.O. 247(E), dated the 5th February, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with immediate effect.

# [F. No. NH-14013/8/2006-P & M] PRABHAKAR, Dy. Secy.

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2009

का.आ. 2225 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :

उक्त अधिसूचना को अनुसूची में क्रम सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टिओं के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् ----

(1)	(2)	(3)
"15.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39, राष्ट्रीय राजमार्ग	मणिपुर राज्य
	सं. 53 [217 कि.मी. का छोड़कर	सरकार"।
	(3 कि.मी. से 220 कि.मी. तक)],	
	और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150	
	[437 कि.मी. को छोड़कर	
	(140 कि.मी. से 402 कि.मी. तक	
	और 448 कि.मी. से 663 कि.मी. तक)],	
	का उतना भाग जितना मणिपुर राज्य में	
	स्थित है।	

[फा. सं. एन.एच.-14013/8/06-पी एंड एम] प्रभाकर, उप-सचिव पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और ओंतम बार कॉ.आ. 1290(अ) तारीख 20 मई, 2009 द्वारा संशोधित की गई।

## NOTIFICATION

### New Delhi, the 2nd September, 2009

S.O. 2225(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) notification number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

(1)	(2)	(3)
"15.	So much of National Highways	State
	No. 39, No. 53 [excluding 217 km.	Government of
	(from 3 km. to 220 km.)] and	Manipur".
	No. 150 [excluding 437 km.	-
	(from 140 km. to 402 km.	
	and km. 488 to 663 km.)] as are	
	situated within the State of	
	Manipur	

[F. No. NH-14013/8/06-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1290(E), dated the 20h May, 2009.

2